R. 5095-दो/15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रामपाल शुक्ल तनय चंद्रिका प्रसाद शुक्ला, निवासी ग्राम सगरा, तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 ----निगरानीकर्ता

बनाम

स्टेट आफ म0प्र0 द्वारा कलेक्टर रीवा जिला रीवा म0प्र0 --गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 02.09.2015 जो कलेक्टर रीवा जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ-19/स्व0निग0/2012-13 मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण के कुछ प्रमुख तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैः-

1. यह कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 272/1 रकवा 2.40 एकड़, स्थित ग्राम सगरा तहसील सिरमौर निगरानीकर्ता के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है, जिसमे निगरानीकर्ता का सन 1979-80 के पूर्व से कब्जा दखल चला आ रहा है, उक्त भूमि का ब्यवस्थापन, तहसीलदार तहसील सिरमौर द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष मे प्रकरण कमांक 120/अ-19/1984-85 आदेश दिनांक 06.07.85 द्वारा किया गया था।
2. यह कि लगभग 28 वर्षो बाद वादग्रस्त भूमि के संबंध मे एक निगरानी अस्वनी कुमार शुक्ला निवासी ग्राम सगरा के द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-5095–तीन/2015 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश रामपाल/म0प्र0शासन	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री प्रमोद मिश्रा उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित है जिन्हें यहां पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर विचार किया जा रहा है । निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया । निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक–16.7.2014 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों तथा अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण में अभी किसी प्रकार का ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी भी प्रकार के हित अनचित रूप से प्रभावित हुए हों । कलेक्टर के न्यायालय में अभी कार्यवाही प्रचलित होकर विचाराधीन है जहां आवेदक को कलेक्टर के समक्ष अपना जबाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है । उपरोक्त परिस्थितियों में विचारोपरांत प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रति भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रिकार्ड हो । सदस्य	1-12-15